ACT
MAGISTRATES
COURT

क्या आपको हिंसा से सुरक्षा की ज़रुरत है?

HINDI

क्या आपको शारीरिक या यौन हिंसा या दुर्व्यवहार, धमकियों, पीछा किए जाने, उत्पीड़न, डराए जाने, संपत्ति की हानि या ऐसी ही किसी अन्य चीज से सुरक्षा की ज़रुरत है?

अथवा

क्या आपके परिवार में कोई व्यक्ति आपके साथ हिंसक बर्ताव या दुर्व्यवहार कर रहा/ही है? इसमें शामिल हो सकता है - शारीरिक या यौन दुर्व्यवहार या हिंसा, भावनात्मक या मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार, धमकाने वाला बर्ताव, या ऐसा बर्ताव जो नियंत्रक, हावी होने वाला हो या जिसके कारण आप अपनी या परिवार के किसी अन्य सदस्य की सुरक्षा को लेकर भयभीत हों।

यदि आपको तुरंत सहायता की ज़रुरत है या आपको लगता है कि आपकी सुरक्षा को तत्काल ख़तरा है तो पुलिस को 000 पर फोन करें।

यदि आपको पारिवारिक हिंसा सेवाओं या आपात-स्थिति निवास के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया घरेलू हिंसा संकटावस्था सेवा (Domestic Violence Crisis Service – DVCS) को उनकी *24 घंटे संचालित संकटावस्था लाइन* **02 6280 0900** पर फोन करें या **www.dvcs.org.au** पर जाएँ।

आप अपनी सुरक्षा के आदेश के लिए ACT Magistrates Court (एसीटी मजिस्ट्रेट्सकोर्ट) में आवेदन कर सकते/ती हैं। आदेशों में आपके बच्चों को भी सम्मिलित किया जा सकता है।

आदेश से दूसरे व्यक्ति ("प्रतिवादी") पर शर्तें लागू हो जाती हैं, जैसे कि आपसे दूर रहने की या आपसे संपर्क नहीं करने की।

मैं कैसे आवेदन कर सकता/ती हूँ?

आवेदन पत्र भरें और न्यायालय में जमा करवाएँ। आपको ये फॉर्म न्यायालय में या **www.courts.act.gov.au/protection** पर ऑनलाइन मिल सकता है।

क्या आवेदन करने के लिए कोई खर्चा होता है?

नहीं। आवेदन करने में शुल्क नहीं लगता है।

मेरी आयु 18 वर्ष से कम है।

आप अपने ख़ुद के नाम पर एक आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते/ती हैं। यदि आपकी आयु 14 वर्ष से कम है और आप एक आदेश प्राप्त करना चाहते/ती हैं, तो आपको अपनी सहायता के लिए एक मुकदमा अभिभावक (litigation guardian) नियुक्त करवाना आवश्यक है। यदि आपकी आयु 14 वर्ष से अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम है तो भी आपको अपनी सहायता के लिए एक मुकदमा अभिभावक नियुक्त करवाना आवश्यक है।

एक मुकदमा अभिभावक 18 वर्ष से अधिक की आयु का वो व्यक्ति होता है जो न्यायालय में आपकी सहायता कर सकता/ती है (उदाहरण के लिए, आपके माता-पिता या एक ऐसा ज़िम्मेदार व्यस्क जिस पर आपको भरोसा हो)। यदि आपके माता-पिता या अभिभावक या ऐसा कोई अन्य उपयुक्त व्यक्ति नहीं है जो न्यायालय मे आपकी सहायता कर सकता/ती हो, तो आपको Public Advocate (सार्वजनिक अधिवक्ता) को **02 6207 0707** पर फोन करना चाहिए।

यदि मेरी एप्लिकेशन (आवेदन) अत्यंत महत्वपूर्ण (अरजेंट) हो और मैं अपनी सुरक्षा को लेकर भयभीत हुँ तो मुझे क्या करना चाहिए?

आप एक अंतरिम आदेश (interim order) प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते/ती हैं। अंतरिम आदेश एक अल्पकालिक आदेश होता है। यदि एक अंतरिम आदेश दिया जाता है तो वह न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय किए जाने तक लागू रहेगा। यदि आप न्यायालय में सवेरे 11 बजकर 30 मिनट से पहले हाजिर हो जाते/ती हैं तो आपके आवेदन-पत्र पर उसी दिन विचार किया जाएगा। यदि आपका आवेदन-पत्र सवेरे 11 बजकर 30 मिनट के बाद जमा करवाया गया तो न्यायालय द्वारा इस बारे में निर्णय लिया जाएगा कि क्या वो आवेदन इतना महत्वपूर्ण है कि उस पर सुनवाई उस दिन की जाए या अगले सामान्य कार्य-दिवस पर।

अंतरिम आदेश प्राप्त करने के लिए लगाए गए सभी आवेदन-पत्रों पर सुनवाई एक न्यायालय कक्ष (कोर्ट-रूम) में एक रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है। आपको यह स्पष्ट करना होगा कि आप अपनी सुरक्षा को लेकर भयभीत क्यों हैं और आपको किससे डर लग रहा है। न्यायालय द्वारा एक अंतरिम आदेश तभी दिया जाएगा यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे आदेश की तुरंत ज़रुरत है। उस आदेश में कुछ शर्तें होंगी जिनका पालन प्रतिवादी को अवश्य करना होगा।

अंतरिम आदेश, पुलिस द्वारा इसकी एक प्रति प्रतिवादी को दे दिए जाने के बाद प्रभावी होता है।

न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दे दिया गया है, उसके बाद क्या होता है?

न्यायालय द्वारा आपके मामले की सुनवाई के लिए कॉन्फ्रेंस (मीटिंग) की एक तिथी निर्धारित की जाएगी। आपको नियत दिवस और समय पर उस कॉन्फ्रेंस (conference) में हाज़िर होना होगा अन्यथा हो सकता है कि आपका आवेदन-पत्र खारिज कर दिया जाए और उसके बाद अंतरिम आदेश के अनुसार आपको सुरक्षा न मिल पाए।

यदि एक अंतरिम आदेश के लिए आवेदन नहीं किया गया या अंतरिम आदेश दिया नहीं गया, तो क्या होता है?

न्यायालय द्वारा आपके मामले की सुनवाई के लिए कॉन्फ्रेंस (मीटिंग) की एक तिथी निर्धारित की जाएगी। आपको कॉन्फ्रेंस में हाज़िर होने के लिए जो दिन और जो समय दिया गया था उस दिन और उस समय पर आपको अवश्य हाज़िर होना होगा।

मेरी कॉन्फ्रेंस वाले दिन क्या होगा?

आपको रजिस्ट्री काउंटर पर जाकर उन्हें बताना होगा कि आप आ गए/ई हैं। यदि आप उस जगह पर प्रतीक्षा नहीं करना चाहते/ती जहाँ प्रतिवादी भी है, तो कृपया काउंटर पर उपस्थित कर्मचारियों को ये बात बताएँ। कॉन्फ्रेंस का संचालन करने वाले/ली उप-रजिस्ट्रार द्वारा आपका नाम पुकारा जाएगा।

कॉन्फ्रेंस के दौरान आपको और प्रतिवादी को अलग-अलग कमरों में रखा जाएगा। आप अपनी सहायता के लिए वहाँ किसी को अपने साथ रख सकते हैं।

उप रजिस्ट्रार यह देखेंगे/गी कि क्या आप और प्रतिवादी किसी परिणाम पर सहमत हो सकते हैं।

Legal Aid ACT (कानूनी सहायता एसीटी) के कर्मचारी न्यायालय में होते हैं जो आपको कानूनी सलाह के बारे में सहायता दे सकते हैं। घरेलू हिंसा संकटावस्था सेवा (Domestic Violence Crisis Service – DVCS) के कर्मचारी न्यायालय में होते हैं जो शायद आपकी सहायता कर सकें। यदि आपको इन दोनों संगठनों में से किसी से भी सहायता चाहिए तो कृपया काउंटर पर उपस्थित व्यक्ति या उप-रजिस्ट्रार से कहें।

कॉन्फ्रेंस के संभावित परिणाम

- आप तथा प्रतिवादी अंतिम आदेशों (Final Orders) पर सहमत हो जाएं। आदेशों को पुलिस द्वारा लागू करवाया जाएगा।
- आप तथा प्रतिवादी अंडरटेकिंग्स (Undertakings) पर सहमत हो जाएँ। अंडरटेकिंग्स न्यायालय से किया गया एक औपचारिक वायदा होता है। यदि किसी वायदे को तोड़ा जाता है, तो पुलिस उसे पूरा नहीं करवा सकती है।
- यदि आप दोनों में सहमति नहीं बनती है तो न्यायालय द्वारा आपके मामले को एक मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया जाएगा।
- यदि प्रतिवादी कॉन्फ्रेंस में हाज़िर नहीं होता/ती है तो अंतिम आदेश देने के बारे में विचार करने के लिए कॉन्फ्रेंस को उसी दिन बाद में किसी समय के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है।
- यदि आप कॉन्फ्रेंस में हाज़िर नहीं होते/ती हैं तो हो सकता है कि आपका आवेदन-पत्र खारिज कर दिया जाए और उसके बाद अंतरिम आदेश के अनुसार आपको सुरक्षा न मिल पाए।
- यदि पुलिस द्वारा, न्यायालय द्वारा दी गई तारीख, लगाए गए आवेदन या किसी अंतिरम आदेश का नोटिस प्रतिवादी को नहीं दिया जा सका तो न्यायालय द्वारा कॉन्फ्रेंस के लिए आपको एक नई तारीख दे दी जाएगी।

यदि मेरा आवेदन सुनवाई के लिए न्यायालय में चला जाता है तो क्या होगा?

आपको सबूत पेश करने होंगे ताकि मजिस्ट्रेट द्वारा अंतिम आदेश देने की आवश्यकता के बारे में निर्णय लिया जा सके। हो सकता है कि आप अन्य लोगों से न्यायालय में यह कहलवाना चाहें कि आपके साथ क्या हुआ है। उन लोगों को गवाह कहा जाता है। यदि आपके पास कोई गवाह है, तो आपको उनसे कहना चाहिए कि वे सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख और समय पर न्यायालय में आएँ। यदि आपके पास ऐसे अभिलेख (रेकार्ड्स) हैं जो आपके मामले में प्रासंगिक हैं, जैसे कि फोटो या मैसेजेस,तो आपको उन्हें न्यायालय को दिखाने के लिए अपने साथ लाना चाहिए।

प्रतिवादी भी उनके मामले में यह काम कर सकते हैं। यदि आपको इस प्रक्रिया के बारे में कोई असमंजस है तो कृपया कानूनी सलाह लें।

एक आदेश कितने समय तक प्रभावी रहता है?

एक निजी सुरक्षा आदेश (Personal Protection Order) अधिकतम 12 महीनों तक और एक पारिवारिक हिंसा आदेश (Family Violence Order) अधिकतम 24 महीनों तक प्रभावी रह सकता है। आप अपने अंतिम आदेश को आगे बढ़वाने के लिए आवेदन कर सकते/ती हैं। इस काम को आदेश की समाप्ति तिथी से पहले करना आवश्यक है।

क्या आदेश को बदलवाया जा सकता है?

अगर आप चाहें तो आदेश को बदलवाने या उसे खत्म करवाने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकते/ती हैं।

क्या आदेश दूसरे राज्यों में भी प्रभावी होता है?

पारिवारिक हिंसा के मामलों में दिए गए आदेश ऑस्ट्रेलिया और न्यू-ज़ीलैण्ड में सभी जगहों पर प्रभावी होते हैं। एक निजी सुरक्षा आदेश अन्य राज्यों में रजिस्टर किया जा सकता है ताकि उसे उन राज्यों और टेरीटोरीज़ में लागू किया जा सके।

महत्वपूर्ण टेलिफोन नंबर

आपात-स्थिति
000

Protection Unit ACT Magistrates Court (सुरक्षा ईकाई एसीटी मजिस्ट्रेट्स न्यायालय)
02 6205 4939

ACT Policing (एसीटी पुलिसिंग)
131 444

Victim Support ACT (पीड़ित सहायता एसीटी)
1800 822 272

Legal Aid ACT (कानूनी सहायता एसीटी)
02 6207 1874 अथवा **1300 654 314**

Domestic Violence Crisis Service – DVCS (घरेलू हिंसा संकटावस्था सेवा)
02 6280 0900

सुलभता

- यदि आपको अनुवाद और दुभाषिया सेवा की आवश्यकता है, तो TIS को पर फोन करें **13 14 50 www.tisnational.gov.au** या पर जाएँ।
- यदि आप बधिर (डैफ) हैं, या आपमें बोलने या सुनने की असमर्थता है, और आपको टेलीटाइपराइटर सेवा की आवश्यकता है, तो **13 36 77** पर फोन करें और **02 6205 0000** से जोड़े जाने के लिए कहें।
- Speak and Listen उपयोग करने वाले, **1300 555 727** पर फोन करें और **02 6205 0000** से जोड़े जाने के लिए कहें।
- यदि आपको यह दस्तावेज़ बड़े अक्षरों में छपा हुआ चाहिए, तो हमारे न्यायालय सहायता अधिकारी को **02 6205 0322** पर फोन करें।

इस दस्तावेज़ को, इसे कानूनी सलाह का विकल्प बनाने के उद्देश्य से नहीं बनाया गया है। यदि आप इस बारे में सुनिश्चित नहीं है कि आप अपने मामले को कैसे आगे बढ़ाएँगे/गी या उसका संचालन कैसे करेंगे/गी, तो कृपया कानूनी सलाह लें।